न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 137/2019 निर्णय दिनांक :– 21-12-19

उनवान

1. मोहनलाल उर्फ मोहना पुत्र गोपीराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम थली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान।

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।.

––अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136</u>

<u>भू राजस्व अधिनियम</u>

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजी भूमि जिसके खसरान नम्बर 1521, 1522,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\MOHNA VS SARKAR.docx

1531, 1533, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1659, 1663, 1664, 1665, 1706, 1707, 1708, 1713, 1745, 1746, 1752, 1753, 1807, 1809, 1813, 1824, कुल किता 24 कुल क्षेत्रफल 3.95 है0 एवं ख0 नं० 478 कुल किता 1 कुल रकबा 0.10 है0 एवं ख0 नं० 559, 560, कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 है0 एवं ख0न0 399, 411, 482, 483, 487, 497, 566, 567, 568, 569, 873, 897, 907, 908, 1218, 1762, 1763, कुल किता 17 कुल क्षेत्रफल 2.22 जो वाके ग्राम थली पटवार हल्का थली तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है जिस पर प्रार्थी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है और लगातार उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहा है। वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मोहना पुत्र गोपी के नाम से दर्ज हो गया। मोहना उर्फ मोहन लाल पुत्र गोपीराम एक ही नाम का व्यक्ति है इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मोहना पुत्र गोपी अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम मोहन लाल पुत्र गोपीराम है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, व अन्य दस्तावेजों में भी प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मोहन पुत्र गोपीराम दर्ज है। प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजों में भी यही नाम है। प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम का

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अंकन मोहना पुत्र गोपी दर्ज हो गया है जो सहवन त्रुटि से दर्ज हो गया है। प्रार्थी का नाम मोहन लाल पुत्र गोपीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में नाम का अंकन होना चाहिए है। इसी नाम से प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेज बने हुए है तथा उनमें यही नाम है। प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम मोहन लाल पुत्र गोपीराम है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में मोहना पुत्र गोपी जमाबन्दी में गलती से इन्द्राज हो गया है मोहना पुत्र गोपी के स्थान पर मोहन लाल पुत्र गोपीराम अंकित किया जावे। जिससे प्रार्थी को उक्त भूमि के संबंध में के.सी. सी कार्ड इत्यादि बनाने में परेशानी आ रही है तथा बैंक से के.सी. सी. लेने हेतु अपने आधार कार्ड से लिंक करवाने हेतु दिनांक 10.06. 2019 को बैंक में गया तो बैंक बालों ने आधार कार्ड से जोडने एव लोन देने से मना कर दिया। इस कारण राजस्व रिकार्ड में इसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मोहना पुत्र गोपी के स्थान पर मोहन ञाल पुत्र गोपीराम दर्ज किया जावे। राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार की शुद्धि किये जाने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अडचन उत्पन्न नहीं होगी तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाली पैचिदगियों से भी बचा जा सकेगा। प्रार्थना पत्र की सुनवाई की अधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी वर्णित मद नं0 1 के राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

में प्रार्थी का नाम सहवन त्रुटि से अधघुरा नाम मोहना पुत्र गोपी दर्ज हो गया है जिसके स्थान पर मोहन लाल पुत्र गोपीराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम का शुद्धिकरण किया जावे। इस हेतु तहसीलदार चाकसू को तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जव जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि :– मद संख्या 1 मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम थली सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 273 कुल किता 41 रकबा 13.95 है0, सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 213 कुल किता 1 रकबा 0.10 है0, सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 314 कुल किता 2 रकबा 0.13 है0, सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 307 कुल किता 17 रकबा 2.22 है0 की खातेदारी भुमि में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। मद संख्या 2 के कम में बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आराजी में मोहना पुत्र गोपी जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। शेष वादी स्वय साक्ष्य सबूतों से सिद्ध करें। मद संख्या 3 से 4 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 4 का प्रथम भाग वादी स्वयं सिद्ध करें। शेष कानूनी है। मद संख्या 5 से 7 कानूनी है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब सरकार

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अनुसार प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना जाहिर किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम थली की जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 247, 283, 284, 286 राशन कार्ड चुनाव पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत थली का प्रमाण पत्र, बतौर दस्तावेज पेश किये गये। वकील प्रार्थी की बहस पर गोर किया व जवाब सरकार प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र का परीक्षण किया गया तो प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2072–75 के खाता संख्या 247, 283, 284, 286 के अतिरिक्त समस्त दस्तावेज राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आधार कार्ड, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र में मोहनलाल पुत्र गोपीराम गुर्जर अंकित है जिसे राजस्व रिकार्ड में हुई त्रूटि को शुद्ध करवाना चाहता है जिसे प्रस्तुत दस्तावेज एवं पंचायत प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर दुरूस्त किया जाना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आरजी खसरा नम्बर 1521, 1522, 1533, 1603 से 1609, 1618 से 1631, 1659, 1663, 1664, 1665, 1706, 1707, 1708, 1713, 1745, 1746, 1752, 1753, 1807, 1809, 1813, 1824 किता 24 रकबा 13.95 है0 व खसरा नम्बर 478 रकबा 0.10 है0 व खसरा नम्बर 559, 560 किता 2 रकबा 0.13 हे0 व खसरा नम्बर 399, 411, 482, 483, 487, 497, 566, 567, 568, 569, 873,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

897, 907, 908, 1218, 1762, 1763 किता 17 रकबा 2.22 है0 वाके ग्राम थली तहसील चाकसू में प्रार्थी का नाम मोहना पुत्र गोपी के स्थान पर मोहनलाल पुत्र गोपीराम शुद्ध अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। व इसी अनुसार मोहनलाल पुत्र गोपीराम राजस्व रिकार्ड में शुद्ध अमल किया जावे निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.01.17 17:33:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: